# न्यायालय रवि शेखर वारसी, न्या0 दण्डा0, द्वि0 श्रे0 दाउदनगर।

## परिवाद पत्र सं0 :—358/2013

## CIS NO—1272/2014

**05.04.2022** आवेदकगण/अभियुक्तगण सजीवन बिन्द, ज्ञांति देवी, देवदत बिन्द एवं धर्मेन्द्र बिन्द की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करता है । जमानत आवेदन की प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को दी गई है ।

वाद पुकार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है । आवेदकगण का बंधपत्र दिनांक—19.03.2022 को बिखंडित हो गया है । आवेदकगण के द्वारा जानबूझकर गलती नही किया गया है । आवेदकगण भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे तथा न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि यह मामला जमानत दुरूपयोग का है । आवेदकगण विगत कई तिथियो से अनुपस्थित रह रहे थे, जिसके फलस्वरूप आवेदकगण का बंधपत्र दिनांक—22.03.2022 को विखंडित किया गया है । आवेदकगण की यह पहली गलती है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है एवं भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने तथा न्यायालय का जो आदेश होगा उसका पालन करने का कथन करते है ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदकगण/अभियुक्तगण को मो0—5000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, दाउदनगर ।